बईजलास – श्री उम्मेद सिंह राजावत, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 262 / 2019 (66 / 18, 515 / 18)
दायर दिनांक :– 25.06.2018

अनवान

श्री रामसुख पिता हुक्मा जाट नि. रामनगर तह. जहाजपुर

प्रार्थी.....

बनाम

1. श्री गोपाल पिता स्व. कजोड जाट नि. रामनगर तह. जहाजपुर
2. श्री रतन पिता स्व. कजोड जाट नि. रामनगर तह. जहाजपुर
3. श्री हरिद्वार पिता स्व. कजोड जाट नि. रामनगर तह. जहाजपुर
4. श्री राजेश पिता स्व. भंवरलाल जाट नि. रामनगर तह. जहाजपुर
5. श्री सत्यनारायण पिता स्व. भंवरलाल जाट नि. रामनगर तह. जहाजपुर
6. तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

अप्रार्थीगण.....

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए रा. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक
1. श्री दीपक पंचोली, एडवोकेट प्रार्थी,

:: आदेश :: दिनांक 11.03.2020

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने पेश कर निवेदन किया की प्रार्थी के खाता एवं कब्जा काश्त की कृषि भुमि सं. 479 रकबा 1.03 बीघा, आ.न. 338 रकबा 5.18 बीघा राजस्व ग्राम रामनगर प. ह. अमरवासी में स्थित है। जिसका प्रार्थी निर्विध उपयोग उपभोग करता चला आ रही है। उक्त वर्णित प्रार्थी की कृषि भूमि में आने जाने के लिय सदियो पुराना आने जाने का रास्ता जो अप्रार्थी सं. 1 लगायत 5 के खाते की आराजी सं. 483 रकबा 11.01 बीघा में से प्रस्तुत नजरी नक्शे में दिखाये रास्ते पर से प्रार्थी आता जाता रहता है व कृषि कार्य में काम आने वाले साधन लाता व ले जाता है तथा फसल को भी लाता ले जाता है। इस रास्तो की चौडाई लगभग 20 फीट है जिसका प्रार्थी लगातार निर्बाध रूप से स्वंय उपयोग करता है तथा बैलगाडी मवेशी ट्रेक्टर लाता ले जाता हैं अप्रार्थी सं. 1 से 5 अब जानबूझ कर अकारण प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के चरण सं. 1 में वर्णित कृषि भुमि में आने जाने के प्रार्थना पत्र के चरण सं. 2 में वर्णित संलग्न नजरी नक्शे के प्रदर्शित रास्ते के प्रार्थी के उपयोग उपभोग में अप्रार्थी सं. 1 लगायत 5 इस सदियों पुराने रास्ते को बन्द कर प्रार्थी को खेतो पर आना जाना व काश्त में काम आने वाले साधन लाने ले जाने से रोकना चाहता हैं फसल बुवाई के लिये ट्रेक्टर व अन्य साधन को जाने देने से मना कर दिया था व कहा कि रेकार्ड में दर्ज नही हैं इसलिये नही जाने देगे। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा कर वर्णित कृषि

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

भूमि पर आने जाने के लिये प्रार्थना पत्र के चरण सं. 2 में वर्णित संलगन नजरी नकशे मे प्रदर्शित रास्ते की भुमि को राजस्व अभिलेख में रास्ते की किस्म में दर्ज कराये जाने की मांग की।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई।

प्रार्थी की आराजी न. 479, 338 में कोई वैकल्पिक रास्ता है या नही के संबध में तहसीलदार जहाजपुर से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार जहाजपुर ने जरिये पत्र दिनांक 06.02.2020 से रिपोर्ट भिजवाई गई। जिसे शामिल फाईल किया गया।

हमने वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। तथा तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया। प्रार्थी अपने खेत आ.न. 479, 338 में आने जाने हेतु ख. न. 483 में से रास्ता चाहती है। प्रार्थिया के खेत में आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। जिसे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर. टी. ए. स्वीकार किया जाता है कि ग्राम रामनगर प. ह. अमरवासी तहसील जहाजपुर की आ.न. 479, 338 में आने जाने के लिये रास्ता आ. न. 483 के मध्य रास्ता दिया जाने का आदेश दिया जाता हैं। आ.न. 483 में से रकबा 0.06 बीघा भुमि रास्ता हेतु प्रभावित होगी। तथा प्रार्थी को अप्रार्थीगण के खेत से लगती हुई आराजी से रास्ते में 0.06 बीघा भुमि जावेगी। उतनी ही भूमि यानि 0.06 बीघा आ.न. 479 में से प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को दिये जाने का आदेश दिया जाता हैं। एवं रास्ता दर्ज कर राजस्व नक्शा सीट पर तरमीम कर नामान्तरकरण दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाडा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2020.08.26 15:42:57 IST
Reason: SelfAttested
Location: